भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3311
13.03.2020 को उत्तर के लिए

वैश्विक तापमान में वृद्धि

3311. श्री वाई देवेन्द्रप्पा:
श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वैश्विक औसत तापमान में एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि संबंधी जलवायु परिवर्तन पर कोई संयुक्त राष्ट्र (यूएन) रिपोर्ट प्राप्त हुई है;
(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट का सार क्या है और वैश्विक तापमान को सीमित करने संबंधी प्रस्तावित प्रक्रिया क्या है; और
(ग) अगले दस वर्षों के भीतर तापमान को 0.5 डिग्री कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्तावित है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ), द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 'यूनाइटिड इन साइंस: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन के विज्ञान परामर्शदात्री समूह द्वारा संयोजित नवीनतम विज्ञान सूचना की उच्च-स्तरीय संश्लेषण रिपोर्ट' के अनुसार, वर्तमान में वर्ष 2015-2019 के लिए औसत वैश्विक तापमान औद्योगीकरण से पूर्व (1850-1900) के स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है। वर्ष 2015-2019 के बीच के पांच वर्षों की अवधि में अलास्का सहित संयुक्त राष्ट्र के अधिकतर इलाकों, दक्षिणी अमेरिकी के पूर्वी भागों, यूरोप और मध्य पूर्व के अधिकांश भागों, उत्तरी यूरेशिया, आस्ट्रेलिया और सहारा के दक्षिण के क्षेत्रों के लिए औसत तापमान सर्वाधिक दर्ज किया गया।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु यह आवश्यक है कि महत्वाकांक्षी नीतिगत उपायों के साथ गहन अकार्बनीकरण, कार्बन सिंकों ओर जैव-विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वायु मंडल से CO_2 को हटाने के प्रयास को शामिल करते हुए तत्काल और सर्व-समावेशी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, जलवायु और शीघ्र चेतावनी सूचना सेवाओं में अनुकूलन हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेने पर बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु और शीघ्र चेतावनी सूचना सेवाएं प्रदान करने हेतु देशों की क्षमताएं भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक घटना है और उससे निपटने हेतु 'साम्या' और 'साझा किंतु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्वों एवं संबंधित क्षमताओं' के सिद्धांतों के आधार पर सभी देशों का सहयोग अपेक्षित है। भारत, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) की प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देते हुए उनका अनुपालन करता है। उसने, यूएनएफसीसीसी, उसके क्योटो प्रोटोकॉल (केपी) और पेरिस समझौते (पीए) के तहत अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के अलावा जलवायु परिवर्तन उपशमन एवं अनुकूलन के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र सवर्धित पहलें करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु किए जा रहे बहु-पक्षीय प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान किया है और अभी भी कर रहा है। स्वतंत्र रूप से कराए गए अध्ययनों में भारत के प्रयासों की अत्यधिक सराहना की गई है और उन्हें पेरिस समझौते के तहत उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुरूप पाया गया है।

पेरिस समझौते के तहत, भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) को प्रस्तुत किया है जिनमें निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं- वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीपीडी) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% कम करना, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता हासिल करना और वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षाच्छादन के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना।

******